



डॉ० राजीव कुमार  
श्रीवास्तव

## भ्रष्टाचार: सत्यनिष्ठा के सामान्य मानदंडों से विचलन

असि० प्रोफेसर- समाजशास्त्र विभाग, श्री सुदृष्टि बाबा पी० जी० कॉलेज, सुदृष्टिपुरी,  
रानीगंज, बलिया (उ०प्र०) भारत

Received- 02 .12. 2021, Revised- 07 .12. 2021, Accepted - 11.12.2021 E-mail: aaryavrat2013@gmail-com

**सारांश:** रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड गिबबन ने कहा था कि रोम के पतन का कारण एक शब्द में बताया जा सकता है और वह शब्द है—भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के विषय से भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था एवम शासन-प्रशासन गहरे रूप से त्रस्त है। कौटिलीय अर्थशास्त्र में इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौटिल्य ने सरकारी खजाने से गबन के चालीस प्रकार गिनाए हैं। जिस प्रकार जिह्वा के अग्रभाग पर शहद या विष रखा हो तब उसका स्वाद ना लेना असंभव है, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी के लिए खजाने का कुछ अंश ना लेना भी असंभव है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि 'जिस तरह पानी के अंदर तैरती हुई मछली के बारे में यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि वह पानी पी रही है या नहीं उसी प्रकार सरकारी काम में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों के बारे में या पता नहीं लगाया जा सकता है उन्होंने पैसा लिया या नहीं। आकाश में ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों की चाल का अनुमान करना संभव है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की गुप्त गतिविधियों की थाह पाना संभव नहीं है।'

**कुंजीभूत शब्द—** रोमन साम्राज्य, इतिहासकार, पतन, भ्रष्टाचार, भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन-प्रशासन।

भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अनुसार भ्रष्टाचार की कानूनी परिभाषा निम्न रूप से दी गई है: 'कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में रहते हुए या उसकी प्रत्याशा करते हुए कोई सरकारी काम करने या न करने अथवा अपना सरकारी काम अंजाम देते हुए किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या उपेक्षा प्रदर्शित करने, अथवा किसी व्यक्ति या केंद्रीय या राज्य शासन की विधायिका या किसी सरकारी नौकर का कोई उपकार या अपकार करने या करने का प्रयास करने के बदले इनाम या प्रोत्साहन के रूप में अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनी पारिश्रमिक से अधिक अन्य कोई भी पारितोषिक स्वीकार करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उसे 3 वर्ष तक की कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जाएंगे।' वस्तुतः निष्ठा के सामान्य मानदंडों से विचलन का एक रूप है— भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अपने व्यक्तिगत हित साधन हेतु अपनी स्थिति, पद या साधनों का जानबूझकर किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुरुपयोग है, चाहे वह आर्थिक लाभ के लिए हो अथवा शक्ति, प्रतिष्ठा या प्रभाव की वृद्धि के लिए हो। यह दुरुपयोग न्यायसंगत तथा सामान्यतया स्वीकृत प्रतिमानों से अधिक और अन्य व्यक्तियों के अथवा पूरे समाज के हित के लिए हॉनिकारक होता है। भ्रष्टाचार में केवल कालाबजारी, रिश्वतखोरी, कुनबापरस्ती, सत्ता या प्रभाव का दुरुपयोग, मुनाफाखोरी और इसी प्रकार के अन्य काम शामिल नहीं हैं, वरन सरकारी धन का अपव्यय भी निष्ठा के अभाव को दर्शाता है, जो प्राकरान्तर से भ्रष्टाचार ही है। वैसे भ्रष्टाचार शब्द की कई तरह से परिभाषा दी गई है। सामान्यतः भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ, 'व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग करना है। इस दुरुपयोग का सम्बन्ध सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि नियमों-विनियमों का उल्लंघन करने से भी होता है। भ्रष्टाचार निवारक समिति के अध्यक्ष के संथानम के अनुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दायित्व के निष्पादन में व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी कार्यवाही करना या न करना ही भ्रष्टाचार है।

भ्रष्टाचार का दूसरा प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग या अपव्यय है। लोक वित्त का अनावश्यक प्रयोजनों पर व्यय करना अथवा आवश्यक परियोजनाओं पर 'मितव्ययिता के नियमों' का पालन नहीं करना, लोक वित्त का अपव्यय है। जिसका सामान्य जनता पर सर्वथा अनुचित प्रभाव पड़ता है।

**सरकारी सेवा में निष्ठा के ह्रास या भ्रष्टाचार के कारण—** जैसा की विदित है कि भारत में भ्रष्टाचार निष्ठा के अभाव का प्रतिफल है और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

**1. ऐतिहासिक कारण—** किसी भी समाज में भ्रष्टाचार की जड़ उतनी ही पुरानी मानी जा सकती है जितना पुराना वह समाज या प्रशासनिक व्यवस्था। आधुनिक भारत में भ्रष्टाचार की जड़ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से ही देखी जा सकती है। ब्रिटिश शासन का मुख्य लक्ष्य भारतीय उपनिवेश का शोषण करना था। ब्रिटिश लोग अधिकांश ऊंचे पदों पर नियुक्त होते थे तथा उन्हें उसी प्रकार की पगार दी जाती थी, इसके विपरीत निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जाता था तथा कम वेतन दिया जाता था। जिसके कारण वे भ्रष्ट तरीके अपनाते थे। औपनिवेशिक युग में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भ्रष्टाचार अपने उच्चतम स्तर पर था। युद्ध कालीन नियंत्रण एवं अभाव के कारण निष्ठा का वातावरण दूषित हो गया था और इसकाल में मुद्रा की प्रचुरता तथा अनुवर्ती मुद्रास्फीति ने इसे और भी बदतर बना दिया।



**2. सापेक्षिक सामाजिक वंचन की अवधारणा—** सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से हुआ नगरीकरण और औद्योगीकरण है, जिसने वैश्वीकरण एवं उपभोक्तावाद को जन्म दिया। इस प्रक्रिया में भौतिक संपत्ति, स्थिति और आर्थिक शक्ति ही समाज में प्रतिष्ठा एवं महत्व निर्धारित करने लगी। वेतन कम है और मुद्रास्फीति यथावत या वर्धमान रही है ऐसे में सरकारी कर्मचारी समाज में प्रतिष्ठा या हैसियत बनाए रखने के लिए आसानी से भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं।

**3. आर्थिक कारण—** अपर्याप्तता पारिश्रमिक तथा जीवन निर्वाह का बढ़ता हुआ व्यय संभवतः भ्रष्टाचार के एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में गिना जाता है।

विगत वर्षों में जीवन निर्वाह—व्यय में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों की विशेषकर वेतन भोगियों की वास्तविक आय कम हुई है। संपत्ति प्राप्त कर प्रतिष्ठित दिखने की लालसा ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जिससे प्रलोभन के वशीभूत होने के अवसर मिले।

**4. भ्रष्टाचार रूपी बुराई के विरुद्ध कठोर जनमत का अभाव—** लोग भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध आमतौर पर शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि अपनी मांगों की पूर्ति के लिए रिश्वत देने को प्रवृत्त होते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ हद तक इसमें कमी आई है।

**5. सरकारी कार्यालयों का जटिल तथा बोझिल कामकाज और प्रक्रिया—** ऐसा आरोप लगाया जाता है कि प्रशुल्क, केंद्रीय उत्पाद, आयात—निर्यात, रेलवे, आपूर्ति और डिस्पोजल, आयकर, पुलिस आदि जैसे सरकारी विभागों का कामकाज जटिल बोझिल, दीर्घसूत्री और विलंबकारी है। इससे 'त्वरित निपटान हेतु धन' जैसी बेईमानी की प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलता है।

**6. भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपर्याप्त कानूनी ढांचा—** भ्रष्टाचार से संबंधित कानून और भारतीय दंड संहिता पुराने पड़ गए हैं। यद्यपि उसमें पर्याप्त दंड का विधान है लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों को कानून के अंतर्गत दंड दिलाने में समय लगता है। भ्रष्टाचार करने पर कठोर तथा त्वरित दंड दिया जाना चाहिए तथा इसी अनुरूप कानूनों में समुचित बदलाव की जरूरत है।

**7. समाज में भ्रष्टाचार को मिल चुकी मौन नैतिक स्वीकृति—** समाज, भ्रष्ट व्यक्ति पर ईमानदार होने का दबाव नहीं बनाता, बल्कि ईमानदार व्यक्ति को पागल आदि कहकर भ्रष्ट होने की प्रेरणा देता है। प्रमाण यह है कि वैवाहिक रिशतों के लिये सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, किंतु उन्हें नहीं जो बेहद ईमानदार हैं।

**8. निजी स्वार्थ सिद्धि हेतु कारपोरेट, राजनेता तथा नौकरशाही की मिलीभगत—** बड़े व्यवसाई, दुकानदार, आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार सरकारी कर्मचारियों से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें रिश्वत देते हैं तथा राजनेताओं से मिलीभगत के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इन तीनों अभिजन वर्गों के मध्य एक मिलीभगत को देखा जा सकता है।

भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिये शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह देश के विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है।

#### **भ्रष्टाचार का प्रभाव—**

**1. राजनीतिक लागत:** इससे राजनीतिक संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास और राजनीतिक भागीदारी में कमी, चुनावी प्रक्रिया में वित्ति, नागरिकों के लिये उपलब्ध राजनीतिक विकल्प सीमित हो जाते हैं तथा लोकतांत्रिक प्रणाली की वैधता को हानि होती है।

**2. आर्थिक लागत:** भ्रष्टाचार, रेंट सीकिंग गतिविधियों के पक्ष में संसाधनों के गलत आवंटन और सार्वजनिक लेन—देन की लागत में वृद्धि करता है, साथ ही व्यापार पर एक अतिरिक्त कर के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेश तथा वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्द्धा में कमी लाकर अंततः आर्थिक दक्षता को कम करता है।

**3. सामाजिक लागत:** भ्रष्टाचार मूल्य प्रणालियों को वित्त करता है और गलत तरीके से उन व्यवसायों को ऊँचा दर्जा देता है, जिनके पास रेंट सीकिंग के अवसर हैं। इससे जनता का एक कमजोर नागरिक समाज (ब्यअपसँवबपमजल) से मोहभंग होता है, साथ ही बेईमान राजनीतिक व्यक्ति इसकी तरफ आकर्षित होते हैं।

**4. पर्यावरणीय लागत:** पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह सार्वजनिक धन को निजी हित में उपयोग करने का आसान तरीका है।

**5. राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे:** सुरक्षा एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बन सकता है, जिसमें धनशोधन, अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती, देश में हथियारों और आतंकवादी तत्त्वों की तस्करी को सुविधा प्रदान करना शामिल हैं।



### भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये कानूनी ढाँचा-

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान है और उन लोगों के लिये भी है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल हैं। वर्ष 2008 से ही इस अधिनियम में संशोधन की बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने के साथ ही रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी के तहत रखने का विचार है।
2. धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 का उद्देश्य भारत में धन शोधन (Money Laundering) के मामलों को रोकना और आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें धन शोधन के अपराध के लिये सख्त सजा का प्रावधान है, जिसमें 10 साल तक की कैद और आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की (यहाँ तक कि जाँच के प्रारंभिक चरण में ही) भी शामिल है।
3. कंपनी अधिनियम (The Companies Act), 2013 कॉर्पोरेट क्षेत्र को स्वनियमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। 'धोखाधड़ी' शब्द की एक व्यापक परिभाषा है, इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया है। विशेष रूप से धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के लिये भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affair) के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय की स्थापना की गई है, जो सफेदपोश और कंपनियों में अपराधों से निपटने हेतु जिम्मेदार है। SFIO कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जाँच करता है।
4. भारतीय दंड संहिता (The Indian Penal Code & IPC), 1860 के अंतर्गत रिश्वत, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित मामलों को कवर किया गया है।
5. विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों को विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को विनियमित करता है। विदेशी योगदान की प्राप्ति के लिये गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है और इस तरह के अनुमोदन की अनुपस्थिति में विदेशी योगदान की प्राप्ति को अवैध माना जा सकता है।

**नियामक ढाँचा:** लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम (The Lokpal and Lokayukta Act), 2013 में केंद्र और राज्य सरकारों के लिये एक लोकपाल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इन निकायों को सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिये इसे लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का अधिकार दिया गया है, इसमें प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री भी शामिल हैं। हालाँकि केंद्रीय सतर्कता आयोग (बमदजतंस टपहपसंदबम ब्वउउपेपवद) को सरकार ने फरवरी 1964 में स्थापित किया था जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। यह आयोग भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है।

निरीक्षण संस्थानों को आवश्यक संसाधनों तक पहुँचने के लिये मजबूत होना चाहिये, साथ ही भ्रष्टाचार-रोधी प्राधिकरणों और निरीक्षण संस्थानों के पास अपने कर्तव्यों के निर्वाह हेतु पर्याप्त धन, संसाधन तथा स्वतंत्रता होनी चाहिये। सूचनाओं तक आसान, समय पर और सार्थक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये प्रासंगिक आँकड़ों को प्रकाशित किया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सभी एजेंसियों के सहयोग और निवारक भ्रष्टाचार उपायों की सराहना करनी चाहिये तथा इसे "रोकथाम इलाज से बेहतर है" (Prevention is Better Than Cure) के रूप में अपनाया जाना चाहिये।

एक दृष्टिकोण के अनुसार, भ्रष्टाचार मानव की नैतिक दुर्बलता से इतना उत्पन्न नहीं होता जितना कि तंत्र में विद्यमान उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमजोरियों से होता है। ये कमजोरियाँ भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती हैं। इसलिये केवल प्रशासनिक सतर्कता से भ्रष्टाचार पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और प्रणालीगत आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार भी शामिल हों।

### भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उपाय-

1. सेवा मानकों की स्थापना और प्रसार।
2. शिकायतों के निवारण हेतु विश्वसनीय तंत्र की स्थापना।
3. विश्वास के स्तर में सुधार के लिये भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास का आकलन करना।
4. सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना।
5. भ्रष्टाचार की घटनाओं के बारे में समाज को शिक्षित करना और सत्यनिष्ठा के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता उत्पन्न करना।
6. जन सुनवाई का उपयोग करना जिसमें दर्शक अपने स्थानीय क्षेत्र की सार्वजनिक कार्य योजनाओं के बारे में सीखते हैं और



सरकार के प्रति अपनी धारणाएँ बनाते हैं।

7. सार्वजनिक शिक्षा और भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में जागरूकता हेतु मीडिया अभियान शुरू करना।
8. भ्रष्टाचार की समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान पर विचार करने के लिये सत्यनिष्ठा कार्यशालाओं तथा जनसुनवाई का आयोजन करना।
9. सार्वजनिक सेवा वितरण का समय-समय पर सर्वेक्षण और आकलन करना।
10. आम तौर पर सरकार तथा इसके विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में भ्रष्टाचार की धारणाओं का सर्वेक्षण करना।
11. सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिये नागरिक समाज समूहों को आमंत्रित करने से जवाबदेही तंत्र का विस्तार करने में मदद मिल सकती है।
12. उन सभी योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिये जिनमें कई बिखरे हुए लाभार्थी हों।

**उपसंहार-** भ्रष्टाचार से लड़ने की नागरिक पहल एक सक्रिय सामाजिक चेतना से आती है। इसलिये सरकारें ऐसे वातावरण को भी बढ़ावा दे सकती हैं जो नागरिक समूहों को भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में शामिल होने में सक्षम बनाता है।

यदि हम अपने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें स्वस्थ और कुशल प्रशासन की स्थापना करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम अपनी व्यवस्था में सुधार करें और सरकार तथा प्रशासन को नागरिकों के लिए उपयोगी बनाएं। गांधीजी की शब्दावली में सार्वजनिक पद को लोक सेवा का अवसर माना जाए तथा राजनीति और सार्वजनिक प्रशासन को आत्माभिमान तथा धन बटोरने का सोपान नहीं, बल्कि त्याग तथा लोगों की सेवा का माध्यम माना जाए। प्रसिद्ध न्यायविद जस्टिस खन्ना के शब्दों में, "ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के सोते हमारे देश में अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, हमारे राजनीतिक जीवन और राज्य के शासन तंत्र में अभी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अटूट सत्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा नैतिक गुणों से संपन्न हैं। लेकिन समाप्त होने वाले का कबाइली लोगों की तरह उनकी संख्या कम होती जा रही है। भारतीय प्रशासन में विकृति का प्रमुख कारण है कि हमने अपने प्राचीन आदर्शों को भुला दिया है। प्रतियोगी उपभोक्तावाद, सुखवाद, इंद्रिय सुख, अधिकतम उपभोग द्वारा भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह ने हमें विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। भोगवाद और उपभोक्तावाद ने नितांत भौतिकवाद की पागल दौड़ को जन्म दिया है। लोग हर अच्छे-बुरे साधन से ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। गांधी जी ने ठीक ही कहा था "संसार में हर व्यक्ति की आवश्यकताओं के लायक पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति के भी लालच के लायक पर्याप्त सामान नहीं है।"

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चतुर्थ रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता'।
2. लोक शिकायत कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012.
3. भ्रष्टाचार निरोधक समिति (के. संधानम समिति) 1962 की रिपोर्ट.
4. 'नीतिशास्त्र एवं सत्य निष्ठा', योजना 2010, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
5. सुभाष कश्यप एवं विश्व प्रकाश गुप्त, 'भारतीय राजनीति सिद्धांत, समस्याएं और सुधार', राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली,
6. एन. विठ्ठल, 'अप्लाइंग जीरो टॉलरेंस टू करप्शन इन इंडिया', 1990.
7. नूरानी, ए.जी., 'मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट' विकास पब्लिकेशन 1997.
8. सुभाष कश्यप, 'क्राइम एंड करप्शन टू गुड गवर्नेंस', न्यू दिल्ली, उप्पल पब्लिकेशन, 1997.
9. एस.एस. गिल, 'द पैथोलॉजी ऑफ करप्शन', नई दिल्ली, हार्पर कॉलिन्स, 1998.
10. एन. विठ्ठल, 'करप्शन इन इंडिया: रोडब्लॉक ऑफ नेशनल प्रोस्पेरिटी', 2003.
11. एस. पॉल, 'फाइटिंग करप्शन', इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, 2011.
12. जी. एन. नाज, 'करप्शन इन इंडिया कौसेज एंड रेमेडिल मेजर्स', इंटरनेशनल जर्नलल्स ऑफ ह्यूमैनिटिज एंड सोशल साइंस, 2015.
13. अवस्थी और अवस्थी, 'भारत में लोक प्रशासन'।
14. मोहित भट्टाचार्य, 'लोक प्रशासन के नवीन आयाम'।

\*\*\*\*\*